श्री सभापति : एक ही सवाल करें।

श्री रुद्रनारायण पाणि : सर, यह इसी से related है। प्राइवेट कम्पनी, घरेलू कम्पनी campus selection करती है किन्तु कोल इंडिया, जो एक सार्वजनिक संगठन है, पब्लिक सेक्टर है, उसमें campus selection करना कतई उचित नहीं है। ऐसा करने से इसकी पारदर्शिता पर सवालिया निशान उठ जाते हैं। महोदय, जहां पर कोयला उठाने पर विस्थापन होता है, वहां के लड़कों को विस्थापन नीति के तहत जो काम दिया जाता है, उस काम के तहत उनको category-I मजदूर में डाल देते हैं। उन लड़कों के बीच कुछ लड़के ऐसे हैं जिनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, कुछ जूनियर इंजीनियर हैं, क्या उन विस्थापित इलाकों के जो लड़के हैं, उन्हें आप उनकी योग्यता के अनुसार कहीं नियुक्ति देंगे या केवल category-I मजदूर ही बनाएंगे?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : माननीय सभापति महोदय, कोल इंडिया मजबूरी में कैम्पस सलेक्शन के लिए मजबूर हुई है, क्योंकि हमारे यहां माइनिंग सैक्टर के इंजीनियर्स की कमी है इसलिए कोल इंडिया ने यह सिस्टम बनाया है कि हम जाकर खुद ही कैम्पस सलेक्शन के माध्यम से माइनिंग इंजीनियर्स का सलेक्शन करेंगे। जहां तक माननीय सदस्य ने कहा है, मैं तो बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं, पता नहीं वे क्या कह रहे हैं। हम पर न तो कोई अधिकारी हावी हो सकता है और न हम कोशिश करते हैं हम किसी के ऊपर हावी होने की। जो नॉर्म में आएगा उसका सलेक्शन किया जाएगा। अगर माननीय सदस्य हमारी जानकारी में किसी भी तरह का करप्शन का केस लाएंगे, चाहे वह सलेक्शन में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Un-licensed television channels

*242. SHRI RAJEEV SHUKLA: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) the number of television channels permitted by Government for viewing in the country;

(b) whether Government has received any complaints/reports that some cable operators, in league with the unscrupulous broadcasters, transmit several un-licensed television channels into Indian households;

(c) if so, the details thereof; and

(d) the action taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI AMBIKA SONI): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) As on date, 512 private satellite TV channels have been permitted under uplinking and downlinking guidelines. Out of these, only 485 TV are permitted to downlink in India. Remaining 27 channels are permitted to only uplink from India.

(b) and (c) The Government is in receipt of inputs regarding downlinking and re-transmission of unregistered satellite channels by cable operators in their networks in certain parts of the country.

(d) The Programme Code as prescribed under the Cable Act and Rules made thereunder permits cable operators to carry only such satellite TV channels as are registered with the Ministry. The Authorized Officers under the Cable Act which include District Magistrates,

Sub-Divisional Magistrates and Commissioners of Police are empowered to take action against the cable operators in case of carriage of unregistered channels. The Ministry has been communicating with the State Governments for setting up of State and District level Monitoring Committees to ensure compliance of the provisions of the Cable Act and the Rules thereunder. Recently the Government on 7.10.2009 has issued an advisory to all authorized Multi System Operators and Cable Operators Associations to discontinue with immediate effect transmission/re-transmission of illegal channels failing which penal action would be taken. The Ministry is also in touch with the Ministry of Home Affairs in this regard.

श्री राजीव शुक्ल : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि उन्होंने अपने जवाब में लिखा है कि कई कारगर कदम उठाए जा रहे हैं, MSOs को भी बोला जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी बोला गया है कि इस तरह के जो गैर कानूनी चैनल्स हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए, जो डाउनलिंक हो रहे हैं। क्या माननीय मंत्री महोदया ने केन्द्रीय गृह मंत्री जी को भी कोई पत्र लिखा था और उसका गृह मंत्रालय से क्या जवाब आया है और उसके बाद क्या-क्या कदम उठाए गए? क्या अभी भी गैर-कानूनी चैनल्स चल रहे हैं ?

श्रीमती अम्बिका सोनी : सर, यह बात सच है कि हम लोगों को मंत्रालय में कई शिकायतें मिली थीं कि देश के अलग-अलग कोनों में कुछ केबल ऑपरेटर्स गैरकानूनी चैनल्स डाउनलिंक करके प्रसारित कर रहे हैं। तो पिछले एक साल के अन्तर्गत हम लोगों ने न सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के चीफ सैक्रेटरीज को, लेकिन जैसे माननीय सदस्य ने बताया कि MSOs, cable operators सब को चेतावनी के रूप में भी और उनसे रिक्वेस्ट करते हुए भी कहा है कि वे डिस्ट्रिक्ट लेविल पर मॉनिटरिंग सेंटर्स खोलें। इसके अलावा हाल में जब यह बात दोबारा नजर में आई और इनपुट्स मिले हैं, तो मैंने जरूर गृह मंत्री जी को भी एक खत लिखा था, क्योंकि कुछ अरसा पहले जब प्रदेश की सरकारों ने जहां-जहां ये शिकायतें आई थीं, कदम उठाए थे। तो वहां किसी कारणवश कानूनी व्यवस्था बिगड़ गई थी, इसलिए मैंने गृह मंत्री को भी एक खत लिखा था, जिसके जवाब में उन्होंने कहा है कि हमें सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और वह अपने मंत्रालय के तहत भी इसें पूरा ध्यान देंगे।

श्री राजीव शुक्ल : सर, मेरी दूसरी सप्लीमेंट्री है। अगर डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम दुरुस्त हो तो इस तरह की बात करना या इस तरह के चैनल्स को चलाना दुरुह हो जाता है। तो Conditional Access System पर क्या प्रगति है, उसको हम कैसे पूरी तरह सब जगह लागू कर सकते हैं?

श्रीमती अम्बिका सोनी : सर, 2002-2003 में जब यह Conditional Access System की बात लागू की गई थी तो हम लोगों ने देखा था कि देश में जो मौजूदा स्थिति थी, उसमें एकदम से अनिवार्य रूप से चलाना मुश्किल था। लेकिन अब कानूनी आदेश के बाद चार मैट्रोज में partially CAS implement हो चुका है, मतलब मुम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और चैन्नई, पूरी तरह से नहीं, लेकिन कुछ हद तक यह CAS इम्प्लीमेंट हो चुका है। अगला कदम 55 नॉन मैट्रो सिटीज में CAS को इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन इसमें हमने एक और भी हाल में यूनियन केबिनेट के जरिए HIT system जो digitalisation के लिए एक बहुत बड़ा कदम आगे माना गया है, उसको भी इंट्रोड्यूज करने की स्वीकृति ले ली है। हम केबल ऑपरेटर्स, डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम जो पूरे देश में नेटवर्क है, उसमें STBs बहुत जरूरी हैं CAS सिस्टम के लिए। पिछले बजट में 5 परसेंट कस्टम ड्यूटी लगाई गई थी बाहर से imported set top boxes के लिए। हम बराबर इस कोशिश में हैं कि डिजिटिलाइजेशन की तरह कदम उठाए जाएं, क्योंकि spectrum की कमी देखते हुए यह भी एक अहम रास्ता होगा अच्छी viewing के लिए और spectrum के इकॉनोमिकल इस्तेमाल के लिए।

श्री साबिर अली : सर, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हटकर है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि आपके यहां जो लड़के रिपोर्टर्स हैं या बड़े ऑफिसर्स हैं, वे 20-20 साल से काम कर रहे हैं...(व्यवधान)

श्री सभापति : क्वेश्चन से रिलेटिड सवाल पूछिए, हटकर मत पूछिए।

SHRI SABIR ALI: Sir, this is a very important issue. It may be a little deviated from the question, but still, very important. It is related to the same Ministry and not very deviated from the issue. मैं पूछना चाहता हूं कि आपके यहां 20-20 साल से लड़के काम करते हैं, उनको पी0एफ0 नहीं मिलती, उनको किसी तरह की मेडिकल फेसिलिटी नहीं है। इतनी तादाद में...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: No. This is not related to this question. It cannot be allowed. No. आप इस सवाल पर सवाल पूछिए।

SHRI SABIR ALI: Sir, this is very important. The question is just a little varied.

श्री सभापति : नहीं, नहीं, इस सवाल का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आप यह सवाल नहीं पूछ सकते हैं। ..(व्यवधान)..

श्री साबिर अली : सर, इन्हीं के चैनल से संबंधित सवाल है। ऐसे कम से कम 500 लड़के हैं, जो ..(व्यवधान)..

श्री सभापति : आप पहले सवाल पूछिए। ..(व्यवधान)..

श्री साबिर अली : जो बीस-बीस साल से काम कर रहे हैं, उन्हीं कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल रही है। ..(व्यवधान)..

श्री सभापति : नहीं। Please resume your place. ..*(Interruptions)*.. Please resume your place. ..*(Interruptions)*..

SHRI SABIR ALI: This is very important. ..*(Interruptions)*..

MR. CHAIRMAN: Shrimati Shobhana Bhartia.

SHRIMATI SHOBHANA BHARTIA: Sir, I would like to ask the hon. Minister: Is there any special mechanism whereby you are actually trying to control pirated contents? Film gets released on Friday and on Saturday several cable channels all across actually starts showing it. When India is taking a moral high position on IPR, is the I&B Ministry focusing on pirated contents as well?

SHRIMATI AMBIKA SONI: Sir, I would like to inform the hon. Member that on 5th December, that is, two days ago we had a whole day meeting of the stakeholders in this whole issue including the Ministers of Information, Public Relations & Cinematography in Delhi. It was a full day discussion and one of the principal issues to be discussed in the conference was video film DVD piracy. A lot of suggestions have come in place during the course of that conference. We have constituted a small group to look into the details and the suggestions, and how the suggestions can be implemented. Most of the State Governments which are charged with the responsibility of dealing with piracy are having laws in place to check this piracy of films, video and DVD. We are very much sensitised to this issue. States like Maharashtra and Tamil Nadu have special laws. Every State Government is being requested to take stringent steps against piracy. It is very much in our agenda.

PROF. P.J. KURIEN: Sir, my question is regarding programme contents of channels, whether licensed or unlicensed. There is what is called cultural invasion from abroad and that is maximum in the media sector, especially in the visual media. Sir, there are programmes whether it is advertisement or other programmes which we cannot see because of obscenity and women are shown half nude. Is it because of the defects in your programme Code or is it because of the violations of code by these operators? In either case, what are the steps you would like to take?

SHRIMATI AMBIKA SONI: Sir, I will try to answer this, though this question does not quite flow from this. There is another question coming at the end of the Question Hour. Sir, it is a fact that any downlinking of channels has to be done by a company registered under the Indian Companies Act, 1956 and that company has to abide by our Cable Television Network Regulation Act, 1995. This Act passed by Parliament has codes on both contents and advertisement and violations of those codes at the moment are addressed by a special Committee put up in the Ministry of I&B which is an inter-Ministerial Committee comprising of Women & Child Development Ministry, External Affairs, Defence, Home and Health. After they feel that there are channels which are violating the contents of this Act, we either send advisories or notices and very often you might have seen that when this has been accepted by both sides that the Code has been violated there are apologies of or disclaimers about the controversial broadcast in question. But we do realise that this is not enough. There has been a debate in this august House also a few months' ago and we are working, almost I would say, over-time with the stakeholders to evolve a system where content could be monitored in a more effective way. There is a very strong debate, as the hon. Member knows, the channels, whether news or entertainment channels, have set up bodies of self-regulation. They feel that they should be given a chance. They have put in place their own codes, and I am personally monitoring it, and I do feel that channels have shown a certain aptitude for self-regulation.

श्री बृजभूषण तिवारी : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी की सद्इच्छा पर कोई शंका नहीं करता हूं, मगर उनसे यह पूछना चाहता हूं कि आपने कितने ऐसे केबल ऑपरेटर्स के खिलाफ कार्यवाही की है, जिन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है तथा इस प्रकार के चैनल्स का प्रसाण किया है? आपने जो जिलों में मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है, क्या आपने उनकी कोई समीक्षा की है?

श्रीमती अम्बिका सोनी : सर, हमारे मंत्रालय के जरिए जो कार्यवाही होती है, वह चैनल्स के खिलाफ होती है और उनको एडवाजरी भेजे जाते हैं। उनके चैनल्स को रुकवाया जाता है या उनमें परिवर्तन करवाया जाता है। अगर उन्होंने किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाई है, तो कई दफा चैनल्स ने disclaimers डालकर माफी भी मांगी है। केबल ऑपरेटर्स के खिलाफ सख्त कार्यवाही करवाने का काम हमारी प्रदेश सरकार के तहत आता है। हम इसके लिए बार-बार लिख रहे हैं कि District Monitoring System होना चाहिए। यदि कोई इल्लिगल चैनल प्रसारित करता है, तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब-डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और पुलिस कमिश्नर तथा जो अधिकृत अफसरान हैं, जिनको केबल ऑपरेटर्स के खिलाफ कार्यवाही करने का अधिकार है और उनकी मशीनरी को 8-9 दिन तक जब्त करने का भी अधिकार है। इसके साथ ही उनको सुनवाई का मौका

भी दिया जाता है। यदि सब ठीक हो जाता है, तो फिर उनको छोड़ दिया जाता है। इसमें कानूनी कार्यवाही करने की तथा जुर्माना करने की भी गुंजाइश है, लेकिन वह स्टेट का अधिकार होने के कारण, हमने देखा है कि लॉ एंड आर्डर का मसला भी खड़ा हो जाता है। हम बराबर स्टेट गवर्नमेंट के सम्पर्क में रहते हैं। मेरा मंत्रालय चैनल्स और ब्रॉडकास्ट के ऊपर कार्यवाही करता है और advisories इश्यु करता है। हमने सिर्फ कंटेन्ट रेग्युलेशन के बारे में इस साल अलग-अलग कैटिगरीज़ के कुल पचास नोटिसेज़ जारी किए हैं।

MR. CHAIRMAN: Now, Question No.243; Hon. Members not present.

Question No. 244; Hon. Member not present.

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, please amend the rules.

MR. CHAIRMAN: The rule is being amended and this situation shall be done away with very soon.

*243. *[The questioner(s) Shri A. Elvarasan and Shri N.R. Govindrajar were absent. For answer *vide* page 37 *infra*.]

*244. *[The questioner Dr. Prabha Thakur was absent. For answer *vide* page 37 *infra*.]

Losses to NFDC

*245.SHRI MOHD. ALI KHAN: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether there have been losses to the National Film Development Corporation (NFDC);

(b) if so, the details thereof and the reasons therefor;

(c) the amount to be collected from the advertisement agents; and

(d) the steps being taken to strengthen NFDC in each State?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI AMBIKA SONI): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Yes, Sir. The National Film Development Corporation (NFDC) has accumulated losses of Rs. 27.62 crores as on 31.03.2009. These losses are mainly due to decline in gross profit margins, loss of business of marketing of Free Commercial Time (FCT) of Doordarshan, loss of royalty due to discontinuation of business of acquisition of films by DD through NFDC, a part of revenue of TV marketing being under litigation, expenditure on VRS for reduction of manpower and high personnel and administrative expenditure over the years not in consonance with the business activities and income of NFDC.

(c) NFDC has aggregate outstanding dues of Rs.36,75,17,102.44 to be collected from the advertisement agents as on 31.03.2009.

(d) NFDC, with its headquarters in Mumbai, has three regional offices, one each in Delhi, Kolkata and Chennai catering to the needs of the film industry in their respective regions. It also